

~~SP/HP~~ ~~SP/Admn.~~ ~~SP/Welfare~~ ~~S/State~~
174
05/01

97
5-1-19

No. Home (A)A (3)-2/2018
Government of Himachal Pradesh
Department of Home

~~From~~
5/1/19

The Addl. Chief Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2

To
P-II RTI

The Director General of Police,
Himachal Pradesh, Shimla-2

Dated Shimla-17100 the 4-1-2019

7/19

Subject:-

राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट (अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक) में की गई संस्तुतियों पर कार्रवाई- संस्तुति संख्या: 8 ।

11 (5)

9/1/19

Sir,

I am directed to enclose a copy of letter No. पर(एआर)ए(8)-1/2017 dated 06.11.2018 received from the Under Secretary (AR) Govt. of H.P. on the subject cited above and request you to take necessary action in the matter accordingly, ATR/information may be supplied directly to the quarter concerned under intimation to this department immediately.

Yours faithfully,

(Surinder Thakur)
Deputy Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh

- 183 -

SH526094

22/11/2018

सं० पर(एआर)ए(8)--1/2017

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग- प्रशासनिक सुधार संगठन

दिनांक शिमला--171 002, 6 नवम्बर, 2018

प्रेषक

सचिव (प्रशासनिक सुधार)

हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रेषित

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
4. समस्त आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
5. समस्त प्रबंध निदेशक/सचिव/पंजीयक/ बोर्ड/निगम/
सरकारी विश्वविद्यालय, स्वायत्त निकाय आदि हिमाचल प्रदेश ।

विषय:

राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट (अप्रैल 1, 2016 से मार्च 31, 2017 तक) में की गई संस्तुतियों पर कार्रवाई - संस्तुति संख्या : 8 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित कर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट में यह संस्तुति (संख्या 8) की है कि विभागों द्वारा अभिलेखों/नस्तियों का रखरखाव कार्यालय नियमावली के अनुसार नहीं किया जा रहा है जबकि नस्तियों का विषयवार, टिप्पणी सहित और पत्राचार भाग को अलग से नस्ति में रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभिलेखों का वर्गीकरण स्थायी एवं समयवार तथा पारदर्शिता के तौर पर नहीं रखा गया है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 (1) (अ) और (व) तथा कार्यालय नियमावली के अनुरूप नस्ति सूची पंजी तथा गार्ड फाईल का रखरखाव नहीं किया गया है। जिस कारण सूचना प्राप्त करने वाले को सूचना देरी से प्रदान की जा रही है। यह संस्तुति आयोग ने अपनी सातवीं से ग्यारहवीं रिपोर्ट्स में भी की है तथा विषयगत रिपोर्ट में इसे दोहराया है। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करें कि कार्यालय नियमावली के अनुरूप निश्चित समयसीमा के भीतर अभिलेखों/नस्तियों का रखरखाव किया जाए। कृपया कृत कार्रवाई से इस विभाग तथा सचिव, राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश को भी अवगत करवाएं।

भवदीय,



(बलबीर सिंह)

अवर सचिव (प्रशासनिक सुधार)

हिमाचल प्रदेश सरकार

दूरभाष 0177 - 2880851

email : arbr-hp@nic.in

-----2-----

DSM

167

25.11.18

11/11/18

11/11/18

11/11/18

11/11/18

11/11/18

11/11/18


Home-A

-124-
: 2 :

पृ० सं० पर(एआर)ए(8)-1/2017

दिनांक शिमला-171 002, 6 नवम्बर, 2018

सचिव, राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, क्योथल कॉम्प्लेक्स,
शिमला--171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।


अवर साचिव (प्रशा० सुधार)
हिमाचल प्रदेश सरकार


E-MAIL/FAX MESSAGE

OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
HIMACHAL PRADESH POLICE HEADQUARTERS
SHIMLA-171002

No. Pers. III -5(02) Misc.-2019- 28833-905 Dated 03.08.19

Copy is forwarded for information and further necessary action to:-

1. All Heads of Police Offices (including SV&ACB) in HP (requested to download the copy from HP Police Web Portal).
2. The Joint Director Prosecution, PHQ, HP, Shimla-2.
3. The Dy. Controller to function as Finance Advisor with DGP, HP, Shimla-2.
4. All the Office Superintendents of PHQ, HP, Shimla-2.
5. All the PS/PA/Sr. Scale Stenographer/Jr. Scale Stenographers/Steno Typist(s) posted in Police Headquarters, HP, Shimla-2.
6. Accountant, PHQ, HP, Shimla-2.
7. Guard file and Incharge, SCRB.


Public Information Officer -cum-
Superintendent of Police (Welfare),
Police Headquarters, H.P, Shimla-2.